संख्या-465/2026/I/1409223/2026/001-CN-2016574-6-7099-35-2026

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 27-07-2026

विषय:- जनपद अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 14वीं आरक्षित वाहिनी हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में अग्रिम राशि रूपये 22.50 करोड़ को जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रदत्त बजट शीर्ष नॉन पीएलए कोड 8443021 के अंतर्गत लेखा शीर्षक- 8443-00-117-00-00 सिविल डिपाजिट वर्क डन फार पब्लिक बाडीज में जमा कराए जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-3ख-85(नया लेखाशीर्ष)2026 दिनांक 22.06.2026 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम बेवाना, परगना/ तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 14वीं आरक्षित वाहिनी की स्थापना के लिए 20.2330 हे0 (49.9968 एकड़) भूमि के क्रय हेतु अग्रिम धनराशि रू0 2250.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रू0 22,50,00,000/- (बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) जिला प्रशासन, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रदत्त बजट शीर्ष नॉन पीएलए कोड 8443021 के अंतर्गत लेखा शीर्षक- 8443-00-117-00-00 सिविल डिपाजिट वर्क डन फार पब्लिक बाडीज में जमा कराए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम/शर्तें:-

1) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा मानक के अनुसार भूमि के क्रय एवं निबन्धन शुल्क की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेगें ।

(2) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(3) समस्त वित्तीय नियमों,वित्तीय हस्तिपुस्तिकाओं को संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसारधनराशि स्वीकृत करने का दायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।

(4) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालयद्वारा सुसंगत शासनादेशों/नियमो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि अवमुक्त कीजाएगी । किसी भी प्रकार की अनियमितता /आडिट आपत्ति के लिए उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय उत्तरदायी होंगे ।

(5) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालयवित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 28.03.2026 मे निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(6) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,50,00,000 (रुपये बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4055002111000 केंद्रीय पुलिस बल हेतु भूमि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रय भवन निर्माण मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-142-X-2026-27-दिनांक:24-7-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-465/2026/I/1409223/2026/001-CN-2016574-6-7099-35-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा),प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0,लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ।
5. वरिष्ठ कमाण्डेन्ट/कासो के0औ0सु0बल0 इकाई, एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक,उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
9. संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
10. मुख्य कोषाधिकारी,आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
12. गार्डफाइल हेतु ।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव ।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।